झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या– 6/वन्यप्राणी (Wetlands)–08/2016 4389 व०प०/राँची,दिनांक– 17/12/25

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Wetland (Conservation & Management) Rules, 2017 के तहत देश के सभी राज्यों के Wetlands के संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य निर्धारित है।

Wetland (Conservation & Management) Rules, 2017 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या–2138 दिनांक–22.05.2018 के द्वारा Jharkhand State Wetland Authority माननीय विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में गठित है।

Wetland से संबंधित मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद W.P.(C) no.-304/2018 Anand Arya vrs Union of India & W.P.(C).No.-230/2001 M.K. Balakrishnan vrs Union of India से तथा माननीय NGT में विचाराधीन वाद O.A.No.-351/2019 Raja Muzaffer Bhatt vrs State of Jammu & Kashmir & Ors से आच्छादित है।

अतएव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Wetland (Conservation & Management) Rules, 2017 के तहत राज्य के Wetlands के संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों को प्रभावशाली एवं क्रियाशील किए जाने तथा कार्रवाई में तीव्रता लाए जाने हेतु जिला स्तर पर समिति निम्नवत् गठित की जाती है:–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का पदनाम	समिति में पदनाम
1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता	सदस्य
3	संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन प्रमण्डल	सदस्य
4	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य
5	क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	सदस्य
6	वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रादेशिक प्रमण्डल	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति की कार्य विवरण:–

जिला स्तरीय समिति जिलान्तर्गत अवस्थित आर्द्रभूमियों के संरक्षण एव प्रबंधन हेतु निम्नलिखित कार्य करेगी।

1. जिलान्तर्गत अवस्थित सभी आर्द्रभूमियों के सम्बन्ध में आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

कृ०पृ०उ०.....

2. जिले में उपलब्ध सभी जल निकायों झील,तलैया,पोखर इत्यादि नाम से आर्द्रभूमि क्षेत्रों तथा जलकर क्षेत्रों की सूचनाएँ जो भू–अभिलेखों पर आधारित है तथा परती भूमि पर है, का संकलन किया जाना।

(i) इन जलीय भूखण्डों का स्वरूप जलीय बनाये रखा जाना सुनिश्चित करना।

(ii) आर्द्रभूमियों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य के लिए Land filling, स्वामित्व परिवर्तन एवं बन्दोबस्ती नही किया जाना।

(iii) आर्द्रभूमियों का सीमांकन किया जाना तथा भू–अभिलेखो में इन्हें जल निकायों के नाम पर सरकार के भू–राजस्व खाता में पंजीकृत किया जाना।

(iv) आर्द्रभूमियों की पैमाइश (सर्वे) कराकर इनका सीमांकन/डिमारकेशन कराया जाना तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण से इन्हें मुक्त कराना।

3. आर्द्रभूमि के अन्दर निम्नलिखित कार्यकलापों को निषिद्ध करना।

(i) किसी भी प्रकार के अतिक्रमण सहित गैर–आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन करना।

(ii) किसी उद्योग को स्थापित करना या विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना।

(iii) आर्द्रभूमियों में ठोस अपशिष्ट का फेंका जाना उद्योगों, शहरों, कस्बों, गाँवो और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट या बहिस्त्रावों का निस्सारण।

(iv) पिछले दस वर्षों के औसत उच्च बाढ़ स्तर से पचास मीटर के भीतर नाव घाटों को छोडकर स्थायी प्रकृति का कोई भी निर्माण।

(v) अवैध शिकार।

4. आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने के लिए संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करना। संक्षिप्त दस्तावेज निम्नलिखित अवयवों के आधार पर तैयार किया जायेगाः–

(क) अक्षांतर–देशान्तर सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधि मान्य आर्द्रभूमियों का सीमांकन।

(ख) आर्द्रभूमियों के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में सांकेतिक उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र।

(ग) पारिस्थितिक चरित्र विवरणी।

(घ) पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारो का लेखा।

(ड.) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची।

(च) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुमति दिये जाने वाले स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची।

(छ) विनियमों के प्रवर्तन की रीति।

5. जिला स्तरीय समिति उपरोक्त संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए सिफारिश उपलब्ध करायेगी।
6. किसी भी जलीय भूखण्डों की परिधि में विकास कार्यों जैसे–पथ निर्माण एवं भवन निर्माण एवं अन्य किसी भी प्रकार के अवसंरचना निर्माण में यह सुनिश्चित किया जाय कि भूखण्ड के आगम–निर्गम चैनल को अवरूद्ध या संकुचित नहीं किया जाएगा।

उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/वन्यप्राणी (Wetlands)–08/2016.....4389..... **व०प०/राँची,दिनांक–**.....17/12/25.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–6/वन्यप्राणी (Wetlands)–08/2016.....4389..... **व०प०/राँची,दिनांक–**.....17/12/25.....

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन प्रमण्डल, झारखण्ड/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–6/वन्यप्राणी (Wetlands)–08/2016.....4389..... **व०प०/राँची,दिनांक–**.....17/12/25.....

प्रतिलिपिः– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Wetland Division), भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली–110003/निदेशक, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110510 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–6/वन्यप्राणी (Wetlands)–08/2016.....4389..... **व०प०/राँची,दिनांक–**.....17/12/25.....

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञापांक–6/वन्यप्राणी (Wetlands)–08/2016 4389 व०प०/राँची,दिनांक– 17/12/25

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के अपर मुख्य सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी सदस्य, Jharkhand State Wetland Authority/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।